



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]
No. 185]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2006/वैशाख 12, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2006/VAISAKHA 12, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)
(पत्तन स्कन्ध)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 मई, 2006

सा.का.नि. 266(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, नीचे दर्शाई जा रही तालिका में क्रम सं. 1-3 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कांडला पत्तन के न्यासी-बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और उन्हें उपर्युक्त बोर्ड में अधिसूचित करती है, अर्थात्

तालिका

1. क्षेत्रीय प्रबंधक, गांधीधाम, पश्चिमी रेलवे	भारतीय रेल के प्रतिनिधि
2. उप-महानिरीक्षक (0026-जे), तट-रक्षक, जिला-मुख्यालय-1, पोरबन्दर	तट रक्षक के प्रतिनिधि
3. प्रभारी नौसेना अधिकारी, गुजरात	रक्षा-सेवाओं के प्रतिनिधि

[फा. सं. पी टी-18011/8/2005-पी टी]

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2006

G.S.R. 266(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1-3 in the Table below to be trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla and notifies the same on the same Board, namely :—

TABLE

1. Area Manager, Gandhidham, Western Railway	Representing Indian Railways
2. DIG (0026-J), Coast Guard, District HQ-1, Porbandar	Representing Coast Guard
3. Naval Officer in Charge (NOIC) Gujarat	Representing Defence Services

[F. No. PT-18011/8/2005-PT]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

1323 GI/2006